न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 7/2021/223

1. चेनाराम पुत्र भैरूराम, जाति जाट, निवासी गांव निटूटी, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सोनी,
2. पन्ना पुत्र रामा,
   समस्त जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 13.12.2019 अंतर्गत वाद संख्या 01/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुनील कड़वासरा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 12.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम निटूटी पटवार क्षेत्र निटूटी के खसरा संख्या 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अपने—अपने जमाबंदी हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अलग—अलग खाता, खसरा नंबर, लगान कायम किया जावे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर बंटवारा की डिक्री पारित की जावे। अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.11.2019 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 13.12.2019 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 को बैचान करने वाले खातेदार एवं प्रतिवादी/अपीलांट के मध्य उनके पूर्वजों के समय से ही मौके पर मौखिक विभाजन हो रखा था तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है । रेस्पो0 को उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा बैचान की गई भूमि पर रेस्पो0 मौके पर काबिज काश्त अनुसार पश्चिम दिशा की तरफ की भूमि पर कब्जा संभलाया गया था तब से रेस्पो0 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । अब रेस्पो0 के मन में खोट आ जाने के कारण रेस्पो0 उक्त भूमि का हिस्सा खरीद करने के बाद प्रतिवादी/अपीलांट जो अपने पूर्वजों के समय से हो रखे मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, को हैरान परेशान करने व उसके कब्जे काश्त में दखल करने की नियत से गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर विभाजन का वाद पेश किया है । रेस्पो0 ने वादग्रस्त भूमि में से खातेदारान का हिस्सा वर्ष 2016 में खरीद करने के पश्चात् नक्शा ट्रेस के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर उक्त भूमि के खातेदारान/विक्रेतागण के द्वारा मौके पर उनके कब्जे काश्त के अनुसार रेस्पो0 को मौके पर कब्जा संभलाने पर काबिज काश्त होकर काश्त व उपयोग कर रहे है । इसलिये रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सभी पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने कानूनी की मंशा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर अपीलांट को जो अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग कर रहा है, उनको साक्ष्य व सुनवाई हेतु संपूर्ण अवसर प्रदान नहीं कर विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2019 को पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दू को भी नजरअदांज किया कि मौका/कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार की जावेगी। इस बाबत् वर्तमान अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कमिश्नरी रिपोर्ट बाबत् अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया था कि कमिश्नरी रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एवं रेस्पो0 द्वारा अपनी मनमर्जी से तैयार करवाई गई है जिसे साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता है इसलिये अपीलांट को उक्त मौका रिपोर्ट की अपील करने के लिए समय देने का निवेदन किया । परन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बिना कुछ आदेश पारित किये आनन–फानन में रेस्पो0 को लाभ देने की गरज से विवादित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । जब अधी0न्याया0 के समक्ष दावे तथा जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जा चुकी थी तो अधी0न्याया0 को आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.11.2019 को प्रतिवादी की जिरह बंद कर उसी दिन बिना बहस सुने वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 10.12.2019 को अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 की पालना स्थगित कर दी । इस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कारण अधी0न्याया0 को अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्राथमिक निर्णय व डिक्री के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2019 को पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2019 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो पेशी दिनांक 5.1.2021 को वास्ते बहस नियत थी । उस दिन प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन करते समय सर्वप्रथम उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2019 की जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता को हुई । तत्पश्चात् प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी प्रार्थी को दी । तत्पश्चात् प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 8.1.2021 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार से बंटवारा की कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की है । प्रतिवादी/अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु साक्ष्य पर जिरह नहीं किये जाने से जिरह बंद की गई थी । विवादित आराजियात अविभाजित आराजियात है जिसका अधी0न्याया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के न्यायिक बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 के विरूद्ध अपील पेश कर रखी है जिसमें नियत पेशी पर निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी होने का कथन किया है जो उचित प्रतीत होता है। हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 1/2017 उनवानी रामेश्वर बनाम चेनाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी चेनाराम द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील डिक्री संख्या 481/2019 बउनवान चेनाराम बनाम रामेश्वर व अन्य दिनांक 16.12.2019 को पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.12.2019 को अपील दर्ज रजिस्टर कर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.11.2019 प्रकरण संख्या 1/2017 की क्रियान्विति आगामी पेशी दिनांक 22.1.2020 तक स्थगित की गई है । तत्पश्चात् अपील पत्रावली में उक्त स्थगन आदेश दिनांक 16.2.2021 तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बढ़ाया जाता रहा है । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 के अनुसरण में कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 13.12.2019 को वाद में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलांट का कथन है कि रेस्पो0/वादी को बैचान करने वाले खातेदारों एवं प्रतिवादी/अपीलांट के मध्य उनके पूर्वजों के समय से ही मौके पर विभाजन हो रखा था तथा उक्त भूमि पर उसी अनुसार काबिज काश्त होकर निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे है । यह भी कथन किया किं कमिश्नर ने कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की है । तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 की पालना में कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस दिये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट में यह अंकित है कि मौके पर वादीगण उपस्थित मिले, प्रतिवादी को जरिये फोन सूचित किया, मौके पर उपस्थित हुआ । प्रतिवादी चेनाराम द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया । उपरोक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रतिवादी को नोटिस जारी नहीं किया गया है। तहसीलदार को मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर पक्षकारान की उपस्थिति में उभयपक्ष को सुनकर मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी, किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व नोटिस दिये बिना मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा आपत्ति का निस्तारण किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2019 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2019 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से बंटवारा के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर